

शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय



जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) 495 001

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

विवरणिका

आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढ़ें ।
आवेदन-पत्र में अपना संपर्क (फोन/ई-मेल) अवश्य लिखें ।

**GOVT. JAMUNA PRASAD VERMA
P.G. ARTS & COMMERCE COLLEGE
JARHABHATA, BILASPUR (C.G.)**

Tel. : 07752-228225 || Website : gjpvpgc.in || E-mail : gpgacc.bsp@gmail.com

मूल्य : 100 रूपये

लक्ष्य कथन

शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से समाज के पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना तथा उसका सर्वांगीण विकास रोजगार के सुअवसर प्रदान करने के साथ-साथ समाजोपयोगी गुणों को विकसित करना ।

उद्देश्य :-

- * शिक्षित समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु युवा छात्र-छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा का अवसर प्रदान करना ।
- * व्यावसायिक समाज की मांग के अनुरूप ढलने हेतु आवश्यक सभी क्षेत्रों में दक्षताएं प्रदान करना ।
- * युवा छात्र-छात्राओं को एक ऐसा वातावरण देना जो उनके व्यक्तित्व के विकास में आत्मविश्वास, समानता की भावना तथा अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों को पैदा करने में सक्षम हो ।
- * शिक्षा का उपयोग उसके हितग्राहियों के सतत् उन्नयन के लिए करना तथा छात्र-छात्राओं को ज्ञान के साथ-साथ परिवार, समाज, पर्यावरण, राष्ट्र के लिए उपयोगी गुणों को विकसित करने का सुझाव उपलब्ध कराना ।

महाविद्यालय के सभी कार्यक्रमों की दिशा समाज निर्माण के प्रभावी सदस्य के रूप में छात्र-छात्राओं को समानता के अधिकार एवं गरिमामय व्यक्तित्व की सीख देने की ओर केन्द्रित होगी ।

—:: अनुक्रमणिका ::—

हमारा महाविद्यालय -

भाग - एक :

1. महाविद्यालयीन समितियाँ
2. संस्था की विवरणिका

भाग - दो :

1. महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय
2. प्रवेश के आवश्यक नियम
3. उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम
4. विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान
5. अन्य सामान्य नियम
6. प्रवेश शुल्क संबंधी विवरण
7. शुल्क में सुविधाएं -
 - अ. निर्धनों के लिए शुल्क मुक्ति
 - ब. भारतीय सैनिक कर्मचारियों की संतान को प्राप्त शुल्क सुविधा
8. भाई-बहनों के कारण सुविधा
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधाएं
10. छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों की संतान को सुविधाएं
11. कृषक संतानों को सुविधाएं
12. छात्राओं को सुविधाएं
13. उपस्थिति नियम

14. महाविद्यालयीन परीक्षाएं
15. परिचय-पत्र
16. विद्यार्थी सहायता कोष
17. एन.एस.एस.
18. एन.सी.सी.
19. पुस्तकालय एवं वाचनालय, बुक-बैंक
20. सायकल स्टैंड
21. स्वास्थ्य परीक्षण
22. अनुशासन व्यवस्था एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड
23. रेडक्रॉस सोसायटी
24. खेलकूद (विशाल क्रीड़ांगन)
25. छात्र संघ
26. सूचना का अधिकार
27. विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता
28. महाविद्यालय द्वारा लागू किये गये विशिष्ट कार्यक्रम
29. समितियों की गतिविधियां एवं उद्देश्य
30. महाविद्यालयीन स्टॉफ सूची

भाग - तीन :

विशिष्ट पुरस्कार

- परिशिष्ट - 1 गतिविधि समितियों के उद्देश्य
परिशिष्ट - 2 रैगिंग संबंधी परिनियम
परिशिष्ट - 3 प्राध्यापकों की सूची

हमारा महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय

शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण महाविद्यालयों में से एक है | सन् 1944 में महाकौशल शिक्षण समिति द्वारा एस.बी.आर. महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई | यशस्वी दानदाता श्री शिव भगवान रामेश्वर लाल बजाज जी द्वारा महाविद्यालय हेतु भूमि दान दी गई थी | इसके संस्थापक प्राचार्य मूर्धन्य साहित्यकार श्री बलदेव प्रसाद जी मिश्र थे | सन् 1972 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसे अधिग्रहीत किया गया और 1985 में विज्ञान संकाय को पृथक कर इसे शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया | वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ शासन ने इसका नामकरण शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय किया है | महाविद्यालय में प्रारंभ से ही कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में स्नातक स्तर पर एवं हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हो रहीं हैं |

अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल इस क्षेत्र में शैक्षणिक मूल्यों की स्थापना और समाज के पिछड़े वर्गों तक ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु महाविद्यालय निरंतर सक्रिय रहा है | विगत 73 वर्षों से भी अधिक समय से यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और समाज के अनेक प्रतिष्ठित व उच्च पदस्थ विद्यार्थियों के अध्ययन का केन्द्र रहा है | संकायों का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम तथा रोजगारोन्मुखी मार्गदर्शन आदि यहां के वैशिष्ट्य है | नैक द्वारा (NACC) महाविद्यालय को "A" ग्रेड प्रदान किया गया है | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने लम्बे कीर्तिमान के साथ महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अमूल्य सहयोग से अपने संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम विस्तार कर रहा है | आधुनिक तकनीकों एवं विधाओं के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन, व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा, व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, परिसर साक्षात्कार, शिक्षक-अभिभावक योजना, व्यावसायिक परीक्षा प्रकोष्ठ आदि महाविद्यालय की प्रत्यक्ष उपलब्धियां हैं |

महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एवं रेडक्रास की सशक्त इकाईयां कार्यरत हैं | महाविद्यालय का क्रीड़ा-विभाग अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए विश्वव्यापी बदलाव के मद्देनजर पारस्परिक उच्च शिक्षा के साथ-साथ ज्ञान और कौशल का समावेश करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का व्यापक दृष्टिकोण महाविद्यालय ने अपनाया है | आने वाले दशकों में जिन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं और रोजगारोन्मुखता के दृष्टिकोण से संभावित विषयों का चयन किया गया है | जैसे - माइक्रोबाइयोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.) तथा एडऑन के साथ फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित किए जा रहे हैं | महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने लिए स्वयं का रोजगार भी निर्मित कर सकें ऐसी व्यवस्था पाठ्यक्रम के अंश रूप में अथवा पाठ्येत्तर गतिविधियों के रूप में स्थापित की गई है | महाविद्यालय का प्रयास रहता है कि छात्र-छात्राओं में कौशल का विकास हो सके ताकि पारम्परिक उपाधि ग्रहण करने के साथ वे जीवनोपयोगी दक्षताओं में भी सक्षम हो सकें और उनमें उद्यमिता विकसित हो सके | इसका भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है |

महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी का विकास अध्ययन-अध्यापन तक ही सीमित नहीं है अपितु महाविद्यालय के प्राचार्य से लेकर प्रत्येक कर्मचारी तक विद्यार्थियों के समुचित व्यक्तित्व विकास हेतु नैतिक मूल्य बोध, कैरियर निर्माण, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय संचेतना का विकास, स्वरोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आदि अन्यान्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तत्पर रहते हैं | महाविद्यालय के अनेक भूतपूर्व छात्र-छात्राएं समाज के प्रतिष्ठित पदों पर स्थापित हैं और देश-विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं |

हम, छात्रों, अभिभावकों और समस्त अकादमिक जगत से सम्बल और सुझाव के आकांक्षी हैं |



पुस्तकालय

- सर्वसुविधायुक्त पुस्तकालय हमारे महाविद्यालय को गौरवान्वित करता है ।
- पुस्तकालय कार्य समय प्रतिदिन सुबह 10.30 से 4.30 बजे तक (रविवार एवं शासकीय अवकाश छोड़कर), उपलब्ध अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, जर्नल्स, पत्रिकाएं एवं समाचार-पत्र
- छात्र/छात्राओं को प्रदायिक पुस्तक 14 दिन के लिए दी जाती है । स्नातक स्तर छात्र/छात्राओं को एक बार में एक पुस्तक और स्नातकोत्तर स्तर की छात्र/छात्राओं को एक बार में दो पुस्तकों की पात्रता है ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को बुक बैंक की पुस्तकें पूरे सत्र के लिए एवं निःशुल्क स्टेशनरी प्रदान की जाती है ।
- पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं ।
- शोध छात्र/छात्राएं पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उन्हें पुस्तकें इश्यू करवाने हेतु रू. 1000/- सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य है ।
- वाचनालय कक्ष में उत्तम पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने के लिए उपलब्ध है । फोटोकापी सुविधा भी उपलब्ध है ।
- ई-लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है ।
- पिछले पांच वर्षों के प्रश्न-पत्र भी ग्रंथालय में उपलब्ध है ।
- पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो कैसेट्स एवं सी.डी. के संग्रह हैं ।
- वाचनालय में 150 छात्र-छात्राओं की बैठक क्षमता है ।

शोध संबंधित जानकारी

- अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा मान्य पी-एच.डी. शोधकेन्द्र के विषयों की सूची - समाजशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं वाणिज्य ।

खेल

- महाविद्यालय परिसर में विशाल क्रीड़ा प्रांगण है ।
- खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक कक्ष ।
- विशाल सभागार सह टी.टी. खेल हॉल एवं जिमनेजियम ।
- खेल मैदान में उपलब्ध सुविधा : खो-खो, कबड्डी, बालीबॉल, हॉकी, सह 200 मीटर दौड़ एवं मिनी स्टेडियम ।
- हॉकी उत्कृष्ट प्रदर्शन केन्द्र

भवन संबंधित जानकारी

- अध्ययन कक्षों की संख्या - 30
- प्रयोगशाला की संख्या - 07
- कान्फ्रेंस हाल - 01
- गर्ल्स कामन रूप - 01
- कैटीन - 01
- पेयजल की उपलब्धता - 04 (आर.ओ. फिल्टरयुक्त वॉटर कूलर)
- महाविद्यालय भवन में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है ।

महाविद्यालयीन समितियाँ

- * विश्वविद्यालय अनुदान समिति
- * क्रय समिति
- * ग्रंथालय समिति
- * छात्र सहायता समिति
- * प्रवेश समिति
- * जनभागीदारी समिति
- * स्टॉफ कॉन्सिल
- * आन्तरिक लेखा परीक्षण समिति
- * आन्तरिक मूल्यांकन समिति
- * सम्मिलित निधि समिति
- * महिला अधिकार संरक्षण एवं समस्या निवारण समिति
- * रेडक्रास एवं स्वास्थ्य परीक्षण समिति
- * प्लानिंग बोर्ड
- * वेतन निर्धारण समिति
- * भविष्य निधि समिति
- * बी.पी.एल., बुक बैंक एवं छात्रवृत्ति योजना समिति
- * स्ववित्तीय पाठ्यक्रम समिति
- * शिक्षक-अभिभावक समन्वय समिति
- * विधि एवं न्यायालयीन प्रकरण समिति
- * रोजगार प्रकोष्ठ समिति
- * अपलेखन समिति
- * छात्रसंघ समिति
- * समय-सारिणी समिति
- * प्रतियोगी परीक्षा समिति प्रकोष्ठ
- * परिसर सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता समिति
- * मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना समिति
- * अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति
- * छात्रवृत्ति समिति
- * सांस्कृतिक गतिविधि समिति
- * साहित्यिक गतिविधि समिति
- * प्रचार-प्रसार समिति
- * प्रकाशन प्रकोष्ठ
- * विद्यार्थी सुविधा केन्द्र समिति
- * विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति
- * वाहन पार्किंग व्यवस्था समिति
- * हेल्प डेस्क समिति
- * महिला प्रताड़ना निवारण समिति

संस्था की वितरणिका

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा एवं उनके बौद्धिक, शैक्षिक, नैतिक दृष्टि से प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो भावी जीवन में सहायक हो सके ।

भाग - एक

1985 में इस महाविद्यालय से विज्ञान संकाय को पृथक किया गया एवं म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 1 जुलाई 1986 से यह महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर स्थापित हुआ था । इस महाविद्यालय का परिसर रायपुर रोड पर जरहाभाठा में स्थित है । वर्तमान में यह महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त है । 1991 से विज्ञान संकाय पुनः प्रारंभ हुआ । वर्तमान में स्नातक स्तर पर विज्ञान में पढ़ाई की व्यवस्था है ।

(क) प्रवेश के मार्गदर्शक नियम -

1. महाविद्यालय में प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है ।
2. प्रवेश ऑनलाईन गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा । अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छ.ग. शासन के नियमानुसार स्थान आरक्षित होंगे ।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुविधाएँ मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है ।
4. महाविद्यालय में प्रवेश एक विशेषाधिकार है, जिसे निष्ठापूर्ण कार्यों एवं सदाचार द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए ।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है । प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित किया जाता है । स्नातकोत्तर स्तर पर विगत वर्ष से ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर पद्धति लागू की गई है जो वर्तमान में भी संचालित है ।

(ख) प्रवेश सीमा (स्नातक स्तर) :

बी.ए. भाग-1	475	बी.एस-सी. भाग-1	180
बी.ए. भाग-2	475	बी.एस-सी. भाग-2	180
बी.ए. भाग-3	475	बी.एस-सी. भाग-3	180
बी.कॉम. भाग-1	180	बी.एस-सी. (कम्प्यूटर)	40
बी.कॉम. भाग-2	180	बी.एस-सी. (माइक्रोबायोलॉजी)	40
बी.कॉम. भाग-3	180		
बी.बी.ए. भाग-1	50		
बी.बी.ए. भाग-2	50		
बी.बी.ए. भाग-3	50		

(ख) रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम (स्ववित्तीय योजना) :

इस महाविद्यालय में सत्र 2006-07 से निम्नांकित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम स्ववित्तीय योजनांतर्गत किये जायेंगे -

(अ) बी.बी.ए.	50 सीट	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
(ब) एडऑन कोर्सेस (स्ववित्तीय)		सभी संकायों/कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु
(1) फंक्शनल इंग्लिश	30 सीट	सॉट स्किल के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का अतिरिक्त ज्ञान कराया जाता है ।
(2) टूरिज्म	30 सीट	
(3) टेलीविजन एवं वीडियो प्रोडक्शन	30 सीट	

टीप : -

1. एडऑन कोर्स को नियमित पाठ्यक्रम के साथ किया जा सकता है ।
2. महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध है ।
3. किसी भी संकाय के किसी भी कक्षा के नियमित विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं ।
4. प्रथम सत्र का सफलतापूर्वक अध्ययन पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, द्वितीय सत्र में डिप्लोमा तथा तृतीय सत्र पूर्ण करने पर एडवांस डिप्लोमा की पात्रता होगी ।
5. उपरोक्त एडऑन कोर्सेस में न्यूनतम 10 छात्र/छात्राओं के प्रवेश लेने पर ही कोर्स संचालित किया जायेगा । विद्यार्थी विभाग से संपर्क कर फार्म वहीं जमा करेंगे । सीधे शुल्क जमा करना मान्य नहीं होगा ।

स्नातकोत्तर स्तर – सेमेस्टर पद्धति (चार सेमेस्टर)

अंग्रेजी साहित्य	40
हिन्दी साहित्य	50
राजनीति शास्त्र	50
अर्थशास्त्र	50
समाजशास्त्र	50
इतिहास	50
भूगोल (स्ववित्तीय)	40
एम.कॉम.	80
पी.जी.डी.सी.ए.	60

स्नातकोत्तर स्तर पर

(ग) महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियम :-

1. महाविद्यालय में प्रवेश खुले द्वार की नीति के आधार पर न होकर गुणानुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा । प्रवेश हेतु संख्या निर्धारित है ।
2. स्नातक प्रथम वर्ष में केवल उन्हीं छात्रों को प्रथम प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो । यदि 10+2 की पूरक परीक्षा में छात्र बैठा हो, तो उसे प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
3. पिछले वर्ष की महाविद्यालयीन परीक्षा में असफल छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्नातक स्तर पर यदि कोई संकाय की परीक्षा अनुत्तीर्ण होता है तथा वह दूसरे संकाय में प्रवेश चाहता है, तो उसे प्रवेश नियमानुसार स्थान रहने पर दिया जायेगा ।

टीप :- एक विषय में पूरक प्राप्त छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश उसी स्थिति में दिया जा सकेगा जबकि स्थान उपलब्ध हो ।

4. विवरणिका में संलग्न छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश हेतु जो मार्गदर्शक नियम स्थापित किये गये हैं, उन्हीं के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का अधिकार होगा ।
2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा-4 के अधीन दोष सिद्ध पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा ।
3. ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो, अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/455/21-अ (प्रारूपण)/2002 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र. 27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्य के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.सी. यदु, अतिरिक्त सचिव

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर
 वि.वि. का पत्र क्र. 1144/अका./पात्रता/94-95/24.08.94

विषय : महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी निर्देशों का सार संक्षेप -

छात्र वर्ग द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षाएं	कक्षा जिनमें अर्हता के बाद प्रवेश की पात्रता है
(1) 10+2 प्रणाली त्रिवर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	- स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष
(2) मा.शि. मंडल रायपुर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम	- स्नातक स्तर के बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम प्रथम वर्ष
(3) मा.शि. मंडल रायपुर द्वारा विज्ञान/वाणिज्य संकाय-के 10+2 बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण	यदि छात्र चाहे तो बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है संकाय परिवर्तन पर प्राप्तांक में से 5 प्रतिशत अंकों को कम किया जायेगा, तत्पश्चात् गुणानुक्रम का निर्धारण होगा
(4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल नई दिल्ली से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण	- स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में
(5) छ.ग. स्थित वि.वि. 10+2+3 प्रणाली से स्नातक-परीक्षा उत्तीर्ण	स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष में डिप्लोमा/डिग्री कक्षाओं में भी जिसमें गुणानुक्रम नियमानुसार पात्रता रखते हैं प्रवेश के पात्र होंगे
(6) मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी	- स्नातक भाग 1 में प्रवेश की पात्रता
(7) ओपन स्कूल से 10+2 पास छात्र/छात्रायें	- स्नातक भाग-एक में प्रवेश की पात्रता

विशेष टीप -

वि.वि. के पत्र क्रमांक 1952/अका./पात्रता दिनांक 24.05.04 के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा मण्डल/अन्य वि.वि. के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा |

कृपया अवगत हो कि उक्त संवर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश देते समय शासन से प्राप्त प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाए तथा महाविद्यालय की उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है | इसके अतिरिक्त अन्य बोर्ड की उत्तीर्ण परीक्षा के छात्र तथा छ.ग. से बाहर के विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम अथवा अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से जारी किये गये पात्रता प्रमाण-पत्र के अभाव में महाविद्यालय के किसी भी कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी तथा किसी भी छात्र को दो विषयों में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी | यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छ.ग. के विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य स्थिति में जिन स्नातक स्तर की परीक्षाओं के छात्र यदि किसी प्रथम या द्वितीय भाग की परीक्षा छ.ग. में किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर शेष भाग की परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करना चाहता है, तो उन्हें भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी |

भाग - दो

(1) महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय -

बी.ए. भाग - 1

परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम

अ) अनिवार्य विषय : हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन

ब) निम्नलिखित विषयों में से कोई तीन विषय :

- | | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. राजनीति शास्त्र | 2. अर्थशास्त्र | 3. हिन्दी / अंग्रेजी साहित्य |
| 4. समाजशास्त्र | 5. इतिहास/संस्कृत साहित्य | 6. भूगोल |

बी.ए. भाग - 2

बी.ए. पूर्व में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग एक में लिए गये थे ।

बी.ए. भाग - 3

बी.ए. अंतिम में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. पूर्व में लिए गये हो एवं महाविद्यालय के विषय के समूह के अंतर्गत हो ।

स्नातकोत्तर कक्षाएं (सेमेस्टर पद्धति)

कला संकाय के निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है -

- | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| 1. अंग्रेजी साहित्य | 2. हिन्दी साहित्य | 3. राजनीति शास्त्र | 4. अर्थशास्त्र |
| 5. समाजशास्त्र | 6. इतिहास | 7. भूगोल (स्व वित्तीय योजना) | |

वाणिज्य संकाय में भी स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है ।

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम भाग - 1

- | | | |
|--------|--|----------------------------|
| खण्ड 1 | 1. हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन | |
| खण्ड 2 | 1. व्यावसायिक संचार | 2. व्यावसायिक नियमन संरचना |
| खण्ड 3 | 1. व्यावसायिक अर्थशास्त्र | 2. व्यावसायिक वातवरण |
| खण्ड 4 | 1. वित्तीय लेखांकन | 2. व्यावसायिक गणित |

बी.कॉम भाग - 2

खण्ड 1	1. हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा	
खण्ड 2	1. व्यावसायिक सांख्यिकी	2. उद्यमिता के मूल तत्व
खण्ड 3	1. प्रबंध के सिद्धान्त	2. कम्पनी अधिनियम
खण्ड 4	1. वित्तीय लेखांकन	2. व्यावसायिक गणित

बी.कॉम भाग-3

हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं केन्द्रीय अध्ययन मण्डल, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय

प्रबन्ध विभाग : बी.बी.ए. - सभी अनिवार्य विषय

एम.कॉम. (सेमेस्टर पद्धति)

अनिवार्य विषयों एवं वैकल्पिक विषय के चयन हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित विषय का चयन करना होगा ।

विज्ञान संकाय -

बी.एस-सी (जीव विज्ञान)

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन करना होगा ।

बी.एस-सी (गणित)

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, भौतिक शास्त्र, गणित एवं रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन करना होगा ।

बी.एस-सी (कम्प्यूटर विज्ञान) स्ववित्तीय योजना

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय का अध्ययन करना होगा ।

बी.एस-सी (माइक्रोबायोलॉजी) स्ववित्तीय योजना

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन करना होगा ।

टीप :- बी.एस.सी. - कम्प्यूटर विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, एम.ए. - भूगोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एड-ऑन कोर्स - फंक्शनल अंग्रेजी, टूरिज्म, टी.व्ही. एण्ड वीडियो प्रोडक्शन एवं डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएल, स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित है जिसका शुल्क अलग से निर्धारित है ।

(2) प्रवेश के आवश्यक नियम :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त के लिये इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि वे संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र भरें | आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की सत्यप्रतिलिपियां संलग्न करें |

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. पिछली परीक्षा की अंक सूची
4. केन्द्रीय मा. शि. बोर्ड अन्य वि.वि. से उत्तीर्ण छात्र को अप्रवजन प्रमाण पत्र एवं पात्रता पत्र
5. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची
6. 12वीं की अंकसूची

गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश प्राप्त होने एवं सूचना पटल पर नाम आ जाने के पश्चात् ही उपयुक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें |

फीस जमा करने पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी | फीस जमा करते समय प्रत्येक विद्यार्थी को दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (ब्लैक एण्ड व्हाइट) जिसमें पीछे विद्यार्थी का नाम और कक्षा लिखा हो, कार्यालय में देना होगा | उसे फीस कार्ड दिया जायेगा | फोटो का उपयोग परिचय पत्र बनाने के लिए होगा, जिसमें विद्यार्थी को प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर कराने होंगे |

सीमित स्थान होने के कारण बी.ए. /बी.कॉम. में नगर के अन्य महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को सामान्यतः प्रवेश नहीं दिया जायेगा |

किसी भी छात्र को प्रवेश की सूचना घर नहीं भेजी जायेगी | प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य होगा |

(3) उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है | जिन छात्रों की उपस्थिति 15 नवम्बर तक 50 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जायेंगे | समय-समय पर अपनी उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ संबंधित प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क कर जानकारी लेना चाहिए | उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है |

(4) विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय की छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है | अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है -

1. निलंबन
2. निष्कासन
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

(5) अन्य सामान्य नियम :-

1. महाविद्यालय के अधिकारीगण इस संस्था में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थीगण अनुशासन तथा सद्व्यवहार का आदर्श इस शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत करेंगे तथा किसी भी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे ।
2. यदि किसी भी विद्यार्थी के विरुद्ध दुराचरण या सतत् निष्क्रियता के गंभीर आरोप पाये गये तो प्राचार्य उसे महाविद्यालय से पृथक अथवा निलंबित कर सकते हैं । ऐसे विद्यार्थी को प्राचार्य महोदय, विश्वविद्यालय की होने वाली परीक्षा में बैठने से वंचित भी कर सकते हैं ।
3. सुरक्षा निधि (काशन मनी) विद्यार्थी को महाविद्यालय छोड़ने पर व स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने पर वापसी योग्य है जिसके लिए विद्यार्थी को काशन मनी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है । केवल गुरुवार एवं शुक्रवार को ही काशन मनी लौटाई जायेगी ।
4. वे विद्यार्थी जो स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र आदि इस महाविद्यालय के कार्यालय से डाक द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक टिकट लगा लिफाफा भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
5. पालक शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिस पर विद्यार्थी पूर्णरूपेण आर्थिक सहायता के लिए निर्भर है ।
6. यदि कोई विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है तो प्राचार्य ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकते हैं तथा निलंबित भी कर सकते हैं ।
7. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी साइकिलें / दो पहिया वाहन अपनी जवाबदारी पर रखें ।
8. प्राचार्य इस विवरणिका के किसी भी नियम अथवा उपनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगे जो भी नये निर्देश प्रभावशाली होंगे वे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर अनिवार्य रूप से बंधनकारी होंगे ।
9. विवरणिका में संलग्न परिचय पत्र को पूरी तरह से भरकर आवेदन पत्र के साथ लौटाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा । प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को अपना पासपोर्ट साइज का तत्काल का छायाचित्र (2 कॉपी) देना अनिवार्य है ।
10. कोई भी विद्यार्थी रेंगिंग करते पाया गया तो अनुशासन समिति के निर्णय पर संबंधित विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा ।

विशेष :-

1. इस विवरणिका में दिये गये नियमों में यदि विवाद हो तो उनका निर्णय प्राचार्य द्वारा दिया जायेगा । समस्त मामलों में प्राचार्य का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा जो सभी विद्यार्थियों को मान्य होगा ।
2. विवरणिका डाक से नहीं भेजी जायेगी ।

(6) प्रवेश शुल्क संबंधी विवरण (2021-22) -

अशासकीय शुल्क						
क्र.	अशासकीय शुल्क	बी.ए. / बी.कॉम. / बी.बी.ए. / बी.एस-सी. भाग-1	बी.ए. / बी.कॉम. / बी.बी.ए. / बी.एस-सी. भाग-2	बी.ए. / बी.कॉम. / बी.बी.ए. / बी.एस-सी. भाग-3	एम.ए. / एम. कॉम. पूर्व	एम.ए. / एम. कॉम. अंतिम
1.	पत्रिका	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.	छात्र संघ प्रवेश शुल्क	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4.	परिचय पत्र	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5.	सायकल स्टैण्ड	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.	सम्मिलित निधि	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
7.	स्नेह सम्मेलन	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8.	चिकित्सा शुल्क	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
9.	कॉमन रुम	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
10.	विकास शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11.	रेडक्रास शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
12.	नेक शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
13.	वाचनालय शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
14.	योजना शुल्क	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
15.	कॉशन मनी	100.00	-	-	100.00	-
16.	मूल्यांकन शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
17.	विभागीय पुस्तकालय	-	-	-	15.00	15.00
18.	जनभागीदारी शुल्क	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
19.	प्रवेश मार्गदर्शिका	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20.	छात्र कल्याण	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
21.	ग्रंथालय	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
22.	शारीरिक कल्याण	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
23.	युवा गतिविधि	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
24.	वि.वि. छात्र संघ यूनियन	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	योग	1165.00	1065.00	1065.00	1180.00	1180.00
शासकीय शुल्क						
1.	शिक्षण शुल्क	115.00	115.00	115.00	126.00	126.00
2.	प्रायोगिक शुल्क (बी.एस-सी.)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	भाग-1, 2, 3 एवं एम.ए. भूगोल					
3.	प्रवेश शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
4.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
5.	पुनः प्रवेश शुल्क (यदि आवश्यक हो)					
	योग	151.00	151.00	151.00	162.00	162.00

स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित विषयों के लिए निर्धारित शुल्क :

क्रमांक	विषय	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-1	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-2	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-3
1.	माइक्रोबायोलॉजी	8000.00	8000.00	8000.00
2.	कम्प्यूटर साईंस	8000.00	8000.00	8000.00
3.	बी.बी.ए.	10000.00	10000.00	10000.00

क्रमांक	विषय	शुल्क विवरण वार्षिक	एम.ए. - भूगोल (प्रथम सेमे.)	एम.ए. - भूगोल (तृतीय सेमे.)
1.	भूगोल	-	5000.00	3000.00

- नोट :- 1. भूगोल विषय हेतु राज्य के बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं को 5000.00 रूपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा ।
2. पी.जी.डी.सी.ए. - प्रयोगशाला रखरखाव शुल्क 5000.00

कैरियर ओरिएन्टेड (एड-ऑन) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क (स्ववित्तीय)

क्रमांक	विषय	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-1	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-2	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-3
1.	फंक्शनल अंग्रेजी	5000.00	5000.00	5000.00
2.	टूरिज्म	5000.00	6000.00	7000.00
3.	टेलीविजन एण्ड वीडियो प्रोडक्शन	5000.00	6000.00	8000.00

टीप :- समस्त रसीद सुरक्षित रखें, आवश्यकता पड़ने पर मांगी जा सकती है । वापस करने योग्य राशि लेने हेतु संबंधित रसीद जमा करना अनिवार्य होगा ।

(7) शुल्क में सुविधाएं :-

शासन के नियमानुसार ही शुल्क सुविधाएं उपलब्ध होगी ।

(अ) निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए शुल्क मुक्ति -

सीमित संख्या में पूर्ण शुल्क मुक्ति अथवा अर्धशिक्षण शुल्क मुक्ति वास्तव में निर्धन एवं योग्य छात्रों को ही प्राप्त हो सकती है । जिनको इस प्रकार की सुविधायें मिलेंगी, उन्हें प्राचार्य महोदय को अपनी मेधा एवं अध्यव्यवसाय और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ब) भारतीय सैनिक कर्मचारियों की संतान को प्राप्त शुल्क सुविधा -

निम्नलिखित कोटे के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे -

1. पूर्व स्नातक (Under Graduate) कक्षाओं में अध्ययन करने वाले वे छात्र जो जे.सी.ओ., एन.सी.ओ. तथा भारतीय सेना की तीनों सेवाओं में किसी भी सेवारत् कर्मचारियों के पुत्र हों ।
2. छत्तीसगढ़ में सामान्यतः निवास करने वाले ऐसे कर्मचारियों के संतानों को भी उपर्युक्त सुविधा प्राप्त होगी, जो या तो देश की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर चुका है, या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं । ऐसे कर्मचारियों की संतान को उपरोक्त सुविधा तभी प्राप्त होगी जब वह हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करेंगे, उपर्युक्त दोनों कोटि के छात्रों को शुल्क सुविधा तभी प्राप्त होगी जब वे जिलाध्यक्ष को उपरोक्त संबंध में पूर्ण विवरण देते हुए अपने पिता की सेवा सेवाश्रेणी विषयक प्रमाणित आवेदन रिकार्ड प्रस्तुत करेंगे ।

(8) भाई-बहन के कारण सुविधा :-

यदि दो या अधिक भाई-बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें से बड़े को संपूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा ।

(9) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधा :-

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे । यह मुक्ति उन्हीं छात्रों को प्रदान हो सकेगी जो अपने आवेदन पत्रों के साथ विज्ञप्त अधिकारी या तहसीलदार के पद से कम न हो ऐसे किसी राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह स्वीकृत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित हैं ।

(10) द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :-

छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार 1 जुलाई 1986 से शासकीय कर्मचारियों की अध्ययनरत् संतानों को शिक्षण शुल्क निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है -

- अ) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौथी वेतनमान 1800 रूपये तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संतानों को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जाये । जिन द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों ने चौथी वेतनमान स्वीकार नहीं किया है उनके संबंध में शिक्षण शुल्क में छूट शासन के आदेशों के अनुसार ही रहेगी ।
- ब) प्रथम उपाधि स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त तथा भृत्य वर्ग के शासकीय सेवक की संतानों को अतकनीकी शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित शुल्क में पूरी छूट दी जायेगी ।

टीप :- शुल्क में छूट की सुविधा निम्न को शर्तों पर प्रदान की जायेगी ।

1. यदि किसी शिक्षण संस्था में किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनार्थ शुल्क लिया जाता है जैसे पुस्तकालय, क्रीड़ा शुल्क आदि तो वह सुविधा ऐसे शुल्क पर लागू नहीं होगी ।
2. शुल्क में छूट की सुविधा अभिभावक द्वारा कार्यालय प्रमुख के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रदान की जायेगी ।
3. यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो यह सुविधा स्थगित रखी जायेगी तथा अगले वर्ष उत्तीर्ण होने पर ही यह सुविधा प्रदान की जा सकती है ।

4. यदि छात्र अनुशासनहीन बर्ताव, हड़ताल आदि में भाग लेता है तो यह सुविधा बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

(11) कृषकों की संतानों को सुविधा :-

कृषक की संतानों को जिलाध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अध्ययन शुल्क में एक तिहाई की छूट दी जावेगी ।

टीप :- महाविद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के बाद अवधान राशि नियमानुसार वापस की जायेगी ।

(12) छात्राओं को विशेष सुविधा :-

राज्य शासन के आदेशानुसार जुलाई 2003 के शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर समस्त छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन के लिए सत्र का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क माफ किया जायेगा, लेकिन अन्य शुल्क देय होगा ।

छात्रवृत्ति संबंधी :

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालयों द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं । इन आवेदन-पत्रों को छात्रों द्वारा प्रमुख के माध्यम से संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को भेजा जाना चाहिए ।
2. स्नातक शिष्यवृत्तियाँ (छात्रवृत्तियाँ), उच्च शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है ।
3. सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय से आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्धारित तिथि पर भेजा जाना चाहिए ।
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन-पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।
5. महाविद्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जाएगी ।
6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, आय तथा जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां 15 सितम्बर के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा ।
7. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना (नियम 2005)
8. बी.पी.एल. छात्र कल्याण (नियम 2005)

(उपर्युक्त दोनों योजनाओं 7 एवं 8 का लाभ गरीबी कल्याण रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को मिलेगा ।)

छात्रवृत्ति के संबंध में छात्रों से अपेक्षित कार्यवाही :

1. छात्रों को उन्हें कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है इस संबंध में विवरणिका से स्वयं जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए अथवा प्रभारी प्राध्यापक से छात्रवृत्ति की जानकारी लेना चाहिए ।
2. आवेदन-पत्र निर्धारित समय से एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना चाहिए । इसी प्रकार नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रगति विवरण सही-सही भरकर अंकसूची के साथ समय-समय पर कार्यालय में जमा करें ताकि कार्यालय उन्हें समय पर संचालनालय भेज सके ।
3. समय-समय पर प्रभारी से छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु उनके द्वारा नियत समय पर संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए ।
4. कार्यालय में फार्म जमा करने के पूर्व छात्र-छात्रायें देखें कि -
 - क. आवेदन पत्र में संपूर्ण कालम सही भरे गये हैं या नहीं ।
 - ख. सही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है या नहीं ।
 - ग. आवेदक के हस्ताक्षर अथवा फार्म जमा करने की तिथि अंतिम है या नहीं ।
 - घ. आवश्यक प्रमाण जैसे अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची, आचरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कक्षा में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र, छात्रावासी (यदि हो) होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है या नहीं ।
 - ङ. पूर्व में छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसका उल्लेख किया है या नहीं ।
 - च. न्यूनतम शर्त की पूर्ति होती है अथवा नहीं, जैसे अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ से उत्तीर्ण की है या नहीं, निर्धारित अंक प्राप्त किये हैं या नहीं, माता-पिता की आय निर्धारित सीमा में है या नहीं ।

(13) उपस्थिति संबंधी नियम :-

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता है ।

समय-समय पर उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क कर प्राप्त करते रहना चाहिए । उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है । जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवम्बर तक 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जायेंगे ।

(14) महाविद्यालयीन परीक्षाएं :-

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली आंतरिक परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है । प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

(15) परिचय पत्र :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के एक सप्ताह के अंदर ही परिचय पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा । परिचय पत्र के बिना विद्यार्थी को महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा । परिचय पत्र गुम हो जाने पर दूसरा परिचय पत्र पुलिस थाना पर रिपोर्ट लिखवाकर प्राप्त प्रमाण के आधार पर रूपये 10/- जमा करने पर दिया जायेगा । महाविद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को परिचय पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करना होगा एवं टी.सी., सी.सी. शुल्क 5.00 रूपये जमा करना होगा तथा अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

(16) विद्यार्थी सहायता कोष :-

यू.जी.सी. द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई है । इसका उद्देश्य निर्धन एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप में लघु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना है ।

(17) एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना)

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक पुरुष इकाई व एक महिला इकाई कार्यरत है । इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियों और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते हैं । 240 घंटे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से 'बी' प्रमाण पत्र मिलता है । समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिक उपचार आदि कार्य करने होते हैं । वार्षिक शिविर भी आयोजित किये जाते हैं जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है ।

(18) एन.सी.सी.

महाविद्यालय में एन.सी.सी. 1956 से संचालित है एवं बिलासपुर शहर के एन.सी.सी. इकाइयों में सबसे पुरानी इकाई है । महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए एक इकाई संचालित है जो कि बटालियन बिलासपुर द्वारा नियंत्रित है ।

(19) पुस्तकालय, वाचनालय एवं बुक बैंक :-

यू.जी.सी. एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक का गठन किया गया है जिससे विद्यार्थियों को संपूर्ण सत्र के लिए पुस्तकें दी जाती हैं ।

नोट :- ऐसे छात्र जो बुक बैंक से पुस्तकें लेने की पात्रता रखते हैं विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त सहित देंगे । पुस्तकालय के उपयोग के लिए परिचय पत्र का लाना आवश्यक है । जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(20) साइकिल स्टैंड

महाविद्यालय में साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है । प्रत्येक विद्यार्थी से पूरे सत्र के लिए 100.00 रूपये स्टैंड के रख-रखाव और संचालन हेतु लिया जाता है । सभी साइकिलें एवं वाहन स्टैंड पर ही रखी जायेंगी । कोई भी विद्यार्थी बरामदे या कमरों, पोर्च आदि में साइकिल अथवा अन्य वाहन रखने पर दण्ड का भागी होगा । अन्यत्र साइकिल अथवा अन्तर् वाहन रखने पर अगर गुम होती है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(21) स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा | यह जांच किसी चिकित्सक द्वारा नियत तिथि को होगी |

(22) अनुशासन व्यवस्था एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड :-

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिए एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड रहेगा |

(23) रेडक्रॉस सोसायटी

महाविद्यालय में एक पुरुष और एक महिला इकाई कार्यरत है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा कार्य की प्रेरणा दी जाती है और रक्तदान शिविर आयोजित किये जाते हैं |

(24) खेल विभाग

- | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|
| 1. फुटबाल | 2. हॉकी | 3. बॉलीबाल | 4. बैडमिंटन |
| 5. टेबल टेनिस | 6. क्रिकेट | 7. कबड्डी | 8. शतरंज |
| 9. एथलेटिक्स | 10. बेसबॉल | 11. हैण्डबॉल | 12. रेसलिंग |

(25) छात्र संघ :-

शासन के मान्य सिद्धान्तों अनुरूप 2017-18 में छात्रसंघ का गठन किया गया वह निम्नानुसार है -

- | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 1. विभा सैनी | - अध्यक्ष | 2. रश्मि पटेल | - उपाध्यक्ष |
| 2. टिवंकल श्रीवास | - सचिव | 4. आदित्य अग्रवाल | - सह-सचिव |

(26) सूचना का अधिकार

प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु सूचना के अधिकार का प्रावधान है | नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है | समयानुसार विद्यार्थी इसका प्रयोग कर सकते हैं |

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भगीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार अससंदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़-फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा । जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

—000—

समितियों की गतिविधियां एवं उद्देश्य

समिति	समिति	उप समिति	संस्कृत समिति	संस्कृत समिति
आर्मी में जाने हेतु नवीन जानकारी का विकास	व्यक्तित्व का विकास	व्यक्तित्व का विकास	आत्मविश्वास पैदा करना	सृजनात्मक प्रतिभा का विकास
नेतृत्व के गुण एवं आत्म - विश्वास	सामाजिक दायित्व एवं जागरूकता	खेलों के प्रति रुचि	नृत्य, संगीत आदि कलाओं के प्रति रुचि	पठन एवं लेखन के प्रति रुचि
स्वप्रेरित अनुशासन एवं देशप्रेम जागरूक करना	स्वप्रेरित अनुशासन एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदना	खेल उपलब्धियों के माध्यम से रोजगारों में प्रभावोत्पादकता बढ़ाना	विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति प्रेरित करना	साहित्य के प्रति अभिरुचि
प्रकृति, पर्यावरण एवं विज्ञान में अभिरुचि	व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति विस्तार गतिविधियां	नैतिकता व मानवता का विकास करना	विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं की खोज	उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन हेतु प्रेरित करना
पर्यावरण के प्रति जागरूकता	समाज में अवहेलित वर्गों के प्रति संवेदना एवं व्यवसाय के लिए प्रेरित करना	खेल भावना व समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करना	व्यक्तित्व विकास	तार्किक क्षमता का विकास
स्थानीय भूगोल एवं नवीन विज्ञान की जानकारी	रोजगार संबंधी एवं उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नवीन जानकारी	नेतृत्व गुण विकसित करना	समसामयिक विषयों पर व्याख्यान	अभिव्यक्ति शैली एवं क्षमता का विकास
	आत्मनिर्भरता के बारे में जागरूकता	शारीरिक सौष्ठव का विकास		समसामयिक विषयों के प्रति जागरूकता
	त्याग एवं मानव सेवा की भावना जागृत करना			
	अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम आदि संस्थाओं से परिचय			

टीप - प्रत्येक छात्र / छात्रा को एक गतिविधि समिति का सदस्य बनना आवश्यक है ।

रैगिंग संबंधी परिणियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिए विशेष परिणियम -

1. यह विशेष परिणियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर से रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।
2. इस परिणियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिणियम प्रचलन में नहीं होगा।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा -
 - अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दंड देना।
 - ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक क्लेश पहुंचना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि।
 - स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिए बाध्य करना।
 - द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालयों और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौंपेंगे। इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। इस हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी। बैठक की सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा।
6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा -
 1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिए निष्कासन।
 2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
 3. दोषी छात्र को दंड के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा।
 4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच सस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।
 5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
 6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा गैर छात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा।

इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. करना आवश्यक होगा।

महाविद्यालय द्वारा लागू किये गये विशिष्ट कार्यक्रम

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम :

महाविद्यालय ने भारतीय रेडक्रास सोसायटी की सदस्यता ग्रहण की है । 110 अलग-अलग विभागों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित की गई है । नेत्र परीक्षण, रक्त समूह की जांच, हीमोग्लोबिन के लिए रक्त परीक्षण, दंत चिकित्सा, सामान्य स्वास्थ्य और स्त्री रोग से संबंधित शिविर प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं । कैंसर एवं एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये जाते हैं ।

व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्थानन प्रकोष्ठ :

छात्राओं को रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी देना, व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार की ओर उन्मुख करना इस प्रकोष्ठ के मुख्य उद्देश्य है । इस प्रकोष्ठ द्वारा छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए कई प्रकार के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं । वाचनालय कक्ष में विशेष सूचना पटल लगाये जाते हैं, जिनमें रोजगार संबंधी, उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी सूचनाएं लगायी जाती है । कैम्पस सेलेक्शन (परिसर चयन) के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को अनेक अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं ।

शिक्षक-अभिभावक योजना :

महाविद्यालय की छात्र/छात्राओं को 30-30 के समूह में विभाजित किया गया है । प्रत्येक शिक्षक ऐसे ही 30 छात्र/छात्राओं के समूह का शिक्षक अभिभावक होता है । ये शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक की भूमिका संपादित करने का प्रयास करते हैं । योजना ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बेहतर संबंधों को विकसित करने के अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है इससे छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है । यह योजना विद्यार्थियों से सम्प्रेषण एवं उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मंच है ।

अभिव्यक्ति अधिकार तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :

छात्र/छात्राओं अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को निर्भीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए शिकायत पेटियों की व्यवस्था है । विद्यार्थी समस्या-निवारण प्रकोष्ठ समिति इन शिकायतों का यथासंभव निवारण करती है ।

जेण्डर प्रकोष्ठ :

एक नवप्रवर्तन के तौर पर जेण्डर प्रकोष्ठ की स्थापना के निम्नांकित उद्देश्य है -

1. विद्यार्थियों को महिला अस्मिता के प्रति संवेदनशील बनाना ।
2. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय में एवं महाविद्यालय से बाहर गतिविधियां आयोजित करना ।
3. छात्राओं में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें नकारात्मक सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए साहबस प्रदान करना ।
4. संबंधित समाचार पत्रों, पुस्तकों एवं जर्नल्स और दृश्य-श्रव्य सामग्री से परिपूर्ण एवं प्रलेखन केन्द्र की स्थापना करना ।
5. महिलाओं से संबंधित विषयों पर शोध हेतु प्रेरित करना एवं महत्त्वपूर्ण महिला शोधकर्ताओं की एक निर्देशिका तैयार करना ।
6. छात्राओं को प्रेरित करने एवं उनसे बातचीत करने के लिए महत्त्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व को आमंत्रित करना ।

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
महाविद्यालय स्टाॅफ सूची
प्राचार्य - डॉ. (श्रीमती) ज्योतिरानी सिंह

हिन्दी विभाग -

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) जयश्री शुक्ल | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. के.के. सिन्हा | सहायक प्राध्यापक |
| 3. डॉ. मंजुला पाण्डेय | सहायक प्राध्यापक |
| 4. डॉ. (श्रीमती) फेदोरा बरवा | सहायक प्राध्यापक |
| 5. श्रीमती चैताली सलूजा | सहायक प्राध्यापक |

अंग्रेजी विभाग -

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) सावित्री त्रिपाठी | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. एस.के. त्रिपाठी | प्राध्यापक |

अर्थशास्त्र विभाग -

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. डॉ. सुनील कुमार शर्मा | सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. (श्रीमती) किरण एस. एक्का | सहायक प्राध्यापक |

इतिहास विभाग -

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) वीणा तिवारी | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. ए. तिकी | सहायक प्राध्यापक |

राजनीति विज्ञान विभाग -

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) दीपशिखा शुक्ला | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. (सुश्री) वन्दना तिवारी | प्राध्यापक |
| 3. डॉ. संजय कुमार तिवारी | सहायक प्राध्यापक |
| 4. डॉ. (श्रीमती) माया यादव | सहायक प्राध्यापक |

समाजशास्त्र -

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. के.के. अग्रवाल | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. एम.के. पाण्डेय | सहायक प्राध्यापक |

भूगोल विभाग -

1. डॉ. सतीश दुबे

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

वाणिज्य विभाग एवं प्रबंध संकाय -

1. डॉ. के.के. भण्डारी
2. कु. नमन गुप्ता

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
सहायक प्राध्यापक

विज्ञान संकाय -

1. गणित विभाग -

1. रिक्त

-

2. वनस्पति शास्त्र -

- डॉ (श्रीमती) उषा शिवहरे

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

3. भौतिक शास्त्र -

1. डॉ. एस.एस. उपाध्याय

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

4. प्राणीशास्त्र विभाग -

1. डॉ. एल.पी. मिरी
2. डॉ. (श्रीमती) रंजू गुप्ता

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
सहायक प्राध्यापक

5. रसायन शास्त्र विभाग -

- डॉ. (श्रीमती) प्रियंका तिवारी

सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

6. कम्प्यूटर एप्लीकेशन -

- श्री कौशल बंजारे

सहायक प्राध्यापक

क्रीड़ा विभाग -

1. रिक्त

क्रीड़ा अधिकारी

ग्रंथालय -

1. डॉ. (श्रीमती) सपना मुखर्जी
2. श्री रामशंकर यादव

ग्रंथपाल
बुक लिफ्टर

चतुर्थ श्रेणी -

1. श्री एल.पी. यादव
2. श्री तीजराम ध्रुव

भृत्य
चौकीदार

कार्यालय प्रबंधन -

1. श्री आर.एस. कौशिक
2. कु. गीता सिंह
3. श्री लक्ष्मीनारायण अनुरागी
4. श्रीमती आभा पाठक

- सहायक ग्रेड-1
सहायक ग्रेड-2
सहायक ग्रेड-3
सहायक ग्रेड-3

प्रयोगशाला तकनीशियन -

1. डॉ. डी.पी. कर्ष
2. श्री आर.एस. ठाकुर
3. श्री एम.एल. पटेल
4. श्रीमती सुजाता जायसवाल

- प्रयोगशाला तकनीशियन
प्रयोगशाला तकनीशियन
प्रयोगशाला तकनीशियन
प्रयोगशाला तकनीशियन

प्रयोगशाला परिचायक -

1. श्री राजकुमार यादव
2. श्री देवीदयाल साहू
3. कु. मानसी लता

- प्रयोगशाला परिचायक
प्रयोगशाला परिचायक
प्रयोगशाला परिचायक

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I (Name of student) _____

S/o D/o Mr./Mrs./Ms (Name if Parent / Guardian) _____

have been admitted to (Name of College) **Govt. J.P. VERMA P.G. ARTS & COMMERCE COLLEGE, JARHABHATA, BILASPUR (C.G.)** have recieved a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that.
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging : and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of Deponent

Name :

Class :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) _____ on this the (day) _____ of _____ (month) _____ (year)

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) _____ of _____ (month) _____ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

AFFIDAVIT BY THE PARENTS / GUARDIAN

I (Name of Parent / Guardian) _____

Father / Mother / Guardian of (Name Student) _____

have been admitted to (Name of College) **Govt. J.P. VERMA P.G. ARTS & COMMERCE COLLEGE, JARHABHATA, BILASPUR (C.G.)** have recieved a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertake that.
 - a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging : and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of Deponent

Name :

Address :

Tel./Mo. No. :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) _____ on this the (day) _____ of _____ (month) _____ (year)

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) _____ of _____ (month) _____ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER